रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99

## भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-15042024-253711 SG-DL-E-15042024-253711

## असाधारण EXTRAORDINARY

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 117] No. 117] दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 15, 2024/चैत्र 26, 1946 DELHI, MONDAY, APRIL 15, 2024/CHAITRA 26, 1946 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 13 [N. C. T. D. No. 13

# भाग IV

# राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

**PART IV** 

राजस्व विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 15 अप्रैल, 2024

घोषणा पत्र

(फार्म-V)

फा. सं. एडीएम/एलएसी/एसई/2023/05/ख.सं.221/भाग-II/28.—भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन का उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 (1), भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनः स्थापन का उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (मुआवजा, पुनर्वास और पुनःस्थापन, विकास योजना) नियम 2015 के नियम सं. 10 के अनुसार] के अंतर्गत गांव नांगली रजापुर के खसरा संख्या 221/2/1(459.192 वर्ग मीटर) और खसरा संख्या 221/2/3 (709.901 वर्ग मीटर), कुल 1169.093 वर्ग मीटर (0.1169093 हेक्टेयर) सराय कालेखां से मयूर विहार, नई दिल्ली तक बारापुला नाले के ऊपर एलिवेटेड रोड के तीसरे चरण के निर्माण हेतु भूमि के प्रस्तावित अधिग्रहण के संबंध में घोषणा।

2560 DG/2024 (1)

जबिक सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजनार्थ सराय कालेखां से मयूर विहार, नई दिल्ली तक बारापुला नाले के ऊपर एलिवेटेड रोड के तीसरे चरण निर्माण हेतु याम-नांगली रजापुर उपमंडल डिफेन्स कॉलोनी, जिला दिक्षण-पूर्व दिल्ली में कुल 1169.093 वर्ग मीटर (0.1169093 हेक्टेयर) भूमि अपेक्षित है।

इसलिए घोषणा की जाती है की उपयुक्त परियाजना के लिए अर्जन के अधीन एक भूखंड है जिसका क्षेत्रफल कुल 1169.093 वर्ग मीटर (0.1169093 हेक्टेयर) है जो ग्राम नांगली रजापुर, उपखंड डिफेंस कॉलोनी, जिला दक्षिण पूर्व दिल्ली में है एवं जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैं:

क्र.सं	सर्वेक्षण	स्वामित्व	भूमि	अर्जन के	हितबद्ध व्यक्ति		सीमा	र	
	संख्या/खसरा	का	का	अधीन क्षेत्र	का नाम एंव पता	उ.	द.	पू.	प.
	न.	प्रकार	प्रकार						
1.	221/2/1	शामलात	यमुना	(459.192	शामलात तरफ	खसरा	खसरा	खसरा	खसरा
		तरफ		वर्ग मीटर )	थोक हीरा सिंह	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या
				( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	और थोक	221/3	221/2/2	NIL	61
					रामबक्श				
					वडीडीए/सरकार।				
2.	221/2/3	शामलात	यमुना	(709.901	शामलात तरफ	खसरा	खसरा	खसरा	61
		तरफ		वर्ग मीटर)	थोक हीरा सिंह	संख्या	संख्या	संख्या	
				,	और थोक	221/2/2	221/1	221/1	
				कुल	रामबक्श		जीम		
				1169.093	वडीडीए/सरकार।				
				वर्ग मीटर					
				(0.1169093					
				,					
				हेक्टेयर)					

प्रकार	संख्या
बकायन	05
नीम	01
टीक	05
शहतूत	02
नीम	04
बकायन	09
पीपल	03
शहतूत	04
शीशम	01
<u> </u>	Total =34
	बकायन नीम टीक शहतूत नीम बकायन पीपल

संरचना	
प्रकार	संख्या
शुन्य	शुन्य

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन का उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जाँच करने के पश्चात् की गयी है। भूमि अधिग्रहण के कारण पुनर्वासित होने वाले परिवारों की संख्या 'शून्य' है और इसलिए पुनर्वास की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, कोयला, लौह-पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की कोई खदान नहीं है जिसे खोदा जाए या खोदने की अनुमति दी जाए।

भूमि की योजना का निरीक्षण कलेक्टर, दक्षिण-पूर्व के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर किया जा सकता है और यह मंडल आयुक्त (राजस्व) और जिला मजिस्ट्रेट, (दक्षिण-पूर्व) की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा।

# पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना का सारांश संलग्न है।

अश्विनी कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व)/ मंडलायुक्त

## पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना के लिए सारांश

1. परियोजना का नाम	(खसरा संख्या 221/2/1 (459.192 वर्ग मीटर) 221/2/3 (709.901 वर्ग मीटर), कुल				
	1169.093 वर्ग मीटर (0.1169093 हेक्टेयर)परियोजना का तीसरा चरण, सराय काले				
	खां से मयूर विहार, नई दिल्ली तक बारापुला नाले पर एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए				
2. संयुक्त सर्वेक्षण दिनांक 10/01/2024 के समय प्रस्तावित भूमि पार्सल में कोई वैध कच्ची झोपड़ी या मोटे तौर पर निर्मित					
आश्रययासंरचना नहीं पाए गए। जमाबंदी मे खसरा न. 221 के सामने यमुना दर्ज हैl किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं					
हुआ है. तदनुसार, परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के संबंध में किसी पुनर्वास और पुनर्स्थापन की आवश्यकता नहीं है।					

#### REVENUE DEPARTMENT

#### **NOTIFICATION**

Delhi, the 15th April, 2024

## **DECLARATION**

#### Form V

**F. No. ADM/LAC/SE/2023/05/KH.No.221/Part-II/28.**— The Declaration under Section 19 (1) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (in accordance with Rule 10 the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Compensation, Rehabilitation and Resettlement, Development Plan) Rules, 2015) regarding the proposed acquisition of land bearing khasra no.221/2/1 (459.192Sqm.) and khasra no.221/2/3 (709.901 Sqm.) total land measuring 1169.093 Sqm. (0.1169901 Hectares) in village NangliRazapur for construction of 3rd Phase of Elevated Road on BarapullaNallah from Sarai Kale Khan to MayurVihar, Delhi.

Whereas it appears to the Government that a total land of measuring 1169.093 Sqm. (0.1169093 Hectares) is required in the Village-NangliRazapur, Sub-Division Defence Colony, District South-East, Delhi for the public purpose, namely 3rd Phase of Elevated Road on BarapullaNallah from Sarai Kale Khan to MayurVihar, Delhi.

Therefore, the declaration is made that a piece of land measuring 1169.093 Sqm. (0.1169093 Hectares) is under acquisition for the above said project in the Village NangliRazapur. Sub-Division. Defence Colony, District South-East, whose detailed description is as follows: -

Sl. No	Survey No./Khasra	Type of Title	Type of Land	Area under acquisition	Name/address of person interested	Boundaries			
	No.					N	S	E	W
1.	221/2/1	ShaamlatTaraf	Yamuna	(459.192 Sqm)	Shaamlat Taraf Thok Hira Singh &ThokRambaksh	221/3	221/2/2 (PantoonPul	Nil	61

					etc. and DDA /Govt.		Road)		
2.	221/2/3	ShaamlatTaraf	Yamuna	(709.901 Sqm.) Total 1169.093 Sqm. (0.1169093 Hectare)	ShaamlatTaraf Thok Hira Singh &ThokRambaksh etc. and DDA /Govt.	221/2/2	221/1 (Jeem)	221/1	61

Trees					
Khasra No.	Variety	Number			
221/2/1	Bakayan	05			
	Neem	01			
	Teek	05			
	Shehtoot	02			
221/2/3	Neem	04			
	Bakayan	09			
	Peepal	03			
	Shehtoot	04			
	Sheesham	01			
		Total =34			

Structure	
Variety	Number
Nil	Nil

This declaration is being made after hearing of objections of persons interested and after due enquiry as provided u/s 15 of RFCTLARR Act, 2013 (30 of 2013). The number of families likely to be resettled due to land acquisition is 'NIL' and as such no Resettlement is needed. Further, there are no Mines of Coal, Iron-Stone, Slate or other minerals which are to be dug or permitted to be dug.

A plan of the land may be inspected in the office of the Collector, South-East on any working day and the same shall also be available on the website of the Divisional Commissioner (Revenue) and the District Magistrate, (South-East), Delhi.

A summary of the Rehabilitation & Resettlement Scheme is appended.

ASHWINI KUMAR, ACS (Revenue)/Divisional Commissioner

## **SUMMARY FOR REHABILITATION & RESETTLEMENT SCHEME**

1. Name of Project	3rd Phase of the Project, for Construction of Elevated
	Kh No.221/2/1(459.192Sqm.) &Kh No.221/2/3 (709.901Sqm.)
	Road over the BarapullahNallah starting from Sarai Total
	1169.093 Sqm. (0.1169093 Hectare) Kale Khan to MayurVihar,
	New Delhi
1. In the proposed land parce	el no legal kachcha huts or roughly built shelters or structures were found at
the time of joint survey da	ated 10/01/2024. Yamuna is mentioned against khasra no. 221 in Jamabandi.
There is no displacement of	of any person. Accordingly, no rehabilitation and resettlement is required in
connection with acquisition	n of land for the project.